भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3067
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

आरडीआई योजना

†3067. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसंधान विकास और नवाचार योजना (आरडीआईएस) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है जिन्हें आगे बढ़ाया गया है, जो विचाराधीन हैं और जिन्हें वित्तपोषण के लिए अनुमोदित किया गया है;

(ख) उन विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और अन्य पात्र संस्थाओं की संस्थान-वार सूची क्या है जिन्होंने आरडीआईएस के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें प्रत्येक संस्थान द्वारा अब तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के संस्थानों का ब्यौरा शामिल है;

(ग) युवाओं, छात्रों और शुरुआती करियर वाले शोधकर्ताओं के बीच आरडीआईएस के लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आरडीआईएस के तहत रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट विषयगत या स्थानीय क्षेत्रों की पहचान की है या उन्हें प्राथमिकता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तर्क क्या है?

उत्तर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने आरडीआई योजना के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और व्यय विभाग (डीओई) के परामर्श से अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) कोष के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों और योजना के लिए विशेष वित्तीय नियमों को तैयार किया और अंतिम रूप दिया है। इन दिशानिर्देशों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

आरडीआई योजना विश्वविद्यालयों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण प्रदान नहीं करती है। यह योजना अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ़) के अंतर्गत स्थापित एक विशेष प्रयोजन कोष (एसपीएफ़) के माध्यम से संचालित की जा रही है और इसमें दो-स्तरीय वित्तपोषण संरचना

का उपयोग किया जाता है। इस तंत्र के अंतर्गत, एसपीएफ कोष का रख-रखाव करता है और एसएलएफएम को निधि उपलब्ध कराता है। अनुमोदित ढांचे के अनुसार, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधक (एसएलएफएम) के रूप में नामित किया गया है और उन्होंने क्रमशः 4 फरवरी 2026 और 13 फरवरी 2026 को परियोजना प्रस्तावों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, फंड ऑफ फंड्स सहित अतिरिक्त पात्र संस्थाओं से एसएलएफएम के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 थी। आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और वर्तमान में चयन प्रक्रिया जारी है।

एसएलएफएम रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) 4 और उससे ऊपर की प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं, जिनमें स्टार्टअप, कंपनियां और उद्योग-नेतृत्व वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शामिल हैं, को वित्त पोषण प्रदान करेंगे।

(ग) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के अंतर्गत अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष (आरडीआईएफ) के संबंध में युवाओं, छात्रों और प्रारंभिक-कैरियर शोधकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई (25 नवंबर 2025), बेंगलुरु (4 दिसंबर 2025), पंचकूला, हरियाणा (6 दिसंबर 2025) और नई दिल्ली (13 दिसंबर 2025) में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों में स्टार्टअप, उद्योग प्रतिनिधियों, निधि प्रबंधकों, युवा शोधकर्ताओं और अन्य पात्र संस्थाओं को शामिल किया गया ताकि 1 लाख करोड़ रुपये के आरडीआई कोष के अंतर्गत अवसरों पर चर्चा की जा सके और आरडीआई योजना में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) से (ङ): इस योजना का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा और परिवर्तन, तथा जलवायु कार्रवाई सहित रणनीतिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र; क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष सहित गहन प्रौद्योगिकी; कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में एआई और इसके अनुप्रयोग; जैव प्रौद्योगिकी, जैव विनिर्माण, सिंथेटिक जीव विज्ञान, फार्मा, चिकित्सा उपकरण; और डिजिटल कृषि और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था है। अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वे प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जिनका स्वदेशीकरण रणनीतिक कारणों से या आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है; और कोई अन्य क्षेत्र या प्रौद्योगिकी जिसे जनहित में आवश्यक समझा जाता है।

नोडल एजेंसी के रूप में डीएसटी ने सभी मंत्रालयों/विभागों को पत्र लिखकर आरडीआई योजना के अंतर्गत उपयुक्त क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु उन्हें जागरूक किया है। ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों को अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

*****